उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर

ज्ञापन

क्रमांक A/4678/चार–12–5/2023 जबलपुर दिनांक 28.07.2023

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश............(म.प्र. राज्य के समस्त)
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,.........(म.प्र. राज्य के समस्त)

विषय:–माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण रिट पिटिशन (सिविल) क्र.643/2015 ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन व अन्य विरूद्व भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27/07/2022 व दिनांक 18/01/2023 का पालन प्रतिवेदन मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किये जाने बावत्।

संदर्भ:–म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक 55/21–ब(एक)/2023 दि.25.07.2023

––00––

निर्देशानुसार, उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में अनुरोध है कि, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत रजिस्ट्री द्वारा सेवारत् उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का तथा दिनांक 01.01.2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का वेतन निर्धारण किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि रजिस्ट्री द्वारा उच्च न्यायिक सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों का पुनरीक्षित नियम, 2022 के अंतर्गत तथा आपके कार्यालय के द्वारा म.प्र. न्यायिक सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों का उक्त नियम के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन निर्धारण किया गया है, के अनुसार संबंधित अधिकारियों को उक्त वेतन निर्धारण के ऐरियर की राशि का भुगतान उनके खाते में किया जा चुका है, के संबंध में निश्चित जानकारी **तत्काल इस रजिस्ट्री को इस ई–मेल (ag1budgethcjbp@mp.gov.in)** पर उपलब्ध करावे, ताकि उक्त जानकारी विधि विभाग, भोपाल को दिनांक 31.07.2023 को आवश्यक रूप से भेजी जा सके। **कृपया इसे अति–आवश्यक समझे।**

संलग्नः–विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 55/21–ब(एक)/2023 दि.25.07.2023 की प्रति।

28.7.23
(अजय पवार)
रजिस्ट्रार(एम)

पृ. क्रमांक A/4679/चार–12–5/2023 जबलपुर दिनांक 28.07.2023

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल ।
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर।
4. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा अनुभाग), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर।

की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त संबंध में जानकारी तत्काल उपरोक्त मेल आई.डी. पर अविलंब प्रेषित करें।

28.7.23
रजिस्ट्रार(एम)

1001

उच्च न्यायालय म.प्र.
26 JUL 2023
जबलपुर

मध्यप्रदेश शासन,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 55 /21–ब(एक)/2023

भोपाल, दिनांक 25.07.2023

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
उच्च न्यायालय,
मध्यप्रदेश, जबलपुर

विषय :– माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण रिट पिटिशन (सिविल) क्र. 643/2015 ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन व अन्य विरूद्ध भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27/7/2022 व दिनांक 18/01/2023 का पालन प्रतिवेदन मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किए जाने बावत्।

———

उपरोक्त विषयान्तर्गत, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में आदेश दिनांक 19/5/2023 में न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27/07/2022 व दिनांक 18/01/2023 में दिये गए निर्देशों के संबंध में कंडिका 113 में यह आदेशित किया गया है कि "113. In the case of arrears of pay, this Court had by Orders dated 27.07.2022 and 18.01.2023 already directed that all arrears of pay be cleared by 30.06.2023. In this regard, it is directed that compliance affidavits must be filed by all States and UnionTerritories by 30.07.2023 that the arrears of pay have been positively credited into the accounts of the concerned officers."

राज्य शासन द्वारा दिनांक 27/07/2022 मे पारित आदेश के पालन में मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 सृजित किये गए है जिनकी अधिसूचना दिनाक 03/02/2023 को प्रकाशित की जा चुकी है।

अतः उक्त नियमों के अंतर्गत सेवारत् न्यायाधीशो का वेतन पुनरीक्षण एवं एरियर का भुगतान तथा दिनाक 01/01/2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारीगण का पेंशन पुनरीक्षण एवं एरियर का भुगतान वास्तविक रूप से संबंधित अधिकारी के बैंक खाते मे किया जा चुका है, की जानकारी 2 दिवस में आवश्यक रूप से प्रेषित करने का अनुरोध है ताकि समयावधि मे शासन की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय में पालन प्रतिवेदन का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा सके।

BK Dwivedi 25/7/23
(बी.के.द्विवेदी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

Registrar General
High Court of M.P.
Jabalpur
26 JUL 2023

Reg.(M) / Reg.(I&L)